प्रश्न सं. [क्र. 651]

परिशिष्ट "1"

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

अतारांकित प्रश्न क्रमांक	:-	651
विभाग का नाम	:-	लोक निर्माण विभाग
उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक	:-	10.12.2024
प्रश्नकर्ता	:-	श्री आशीष गोविन्द शर्मा
विषय	:-	रेत के वाहनों से जीर्ण–शीर्ण हुए मार्ग को दुरुस्त किया जाना।

क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में रेत का अत्याधिक उत्खनन होता है। ट्रेक्टर, ट्रक, डम्परों इत्यादि वाहनों का अत्याधिक दबाव रहता है जिसके कारण मार्ग जीर्ण–शीर्ण हो रहे है ?

(ख) जिन मार्गो से रेत के वाहन गुजरते है उन मार्गों को दुरूस्त किये जाने हेतु शासन की क्या योजना है ? जानकारी दें।

(ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपल्यानानकार से ग्राम कोलारी तक एवं ग्राम मेजनास से ग्राम मेलपिपल्या तक का मार्ग रेत के वाहनों के कारण अत्याधिक खराब हो चुका है इन मार्गों का नवीन निर्माण कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(क) जी हाँ।

(ख) म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण के तहत कोई योजना नही है। जब भी कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तब गुण दौष के आधारर्न पर निर्णय लिया जाता है।

(ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपल्यानानकार से ग्राम कोलारी तक पैकेज क्रमांक एम.पी. 10 यू.पी. जी. 21 कि निविदा स्वीकृत कि जाकर अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित है, तदुपरान्त उन्नयन एवं दुरुस्तिकरण का कार्य किया जाना है तथा ग्राम मेजनास (अजनास) से ग्राम मेलपिपल्या तक का मार्ग 15 वर्ष पश्चात पैकेज क्रमांक एम.पी. 10 एफ.टी.एन. 02 अंतर्गत संधारण अवधि में संधारित है। किन्तु संविदाकार द्वारा कार्य योजना अनुसार कार्य नही करने के कारण अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। नवीन एजेंसी निधारण उपरान्त संधारण कार्य किया जाना है।

महाप्रबंधक,
म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई–2, देवास (म0प्र)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल